सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 685 राँची, गुरुवार, 13 श्रावण, 1938 (श०) / 4 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

4 जुलाई, 2016

विषय:- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण ।

संख्या-5671-- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 (वर्ष-1996-1)(केन्द्रीय अधिनियम) की विभिन्न धाराओं में किए गये प्रावधानों के सम्यक् कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पत्र/संकल्प निर्गत कर आवश्यक अनुदेश सभी विभागों को दिया गया है । यथा पत्रांक-251, दिनांक 15 अक्टूबर, 2000, पत्रांक-2289 दिनांक 18 जुलाई, 2005, संकल्प सं०-7281, दिनांक 7 नवम्बर, 2007 एवं पत्रांक-609, दिनांक 25 जनवरी, 2016 । उक्त अनुदेश मूलतः कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36035/3/2004 (इस्ट रेस) दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 पर आधारित है ।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 के बाद समय-समय पर निर्गत कार्यालय ज्ञापन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०- 9096/2013, (2013) 10 सुप्रीम कोर्ट केस-772 में दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 को पारित आदेश तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०- डब्लू०पी०(पी०आई०एल०)-7525/2013-अरूण कुमार सिंह

बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 9 मार्च, 2016 को पारित आदेश के आलोक में राज्य में निःशक्त जनों को उक्त अधिनियम-1995 के अन्तर्गत आरक्षण से सम्बन्धित विषय में स्पष्ट अनुदेश निर्गत करने की आवश्यकता थी ।

राज्य सरकार को विधि विभाग से परामर्श कर यह समाधान हो गया है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 के विभिन्न प्रावधानका कार्यान्वयन अब निम्न प्रकार किया जाएगा:-

1. (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 33 के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/बोर्डों के विभिन्न प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा राज्य सम्पोषित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में कुल-03 प्रतिशत पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित होगा ।

(ख) यह आरक्षण क्षैतिज रूप से विनियमित होगा अर्थात् चयनित निःशक्त जन अगर अनारक्षित वर्ग का होगा तो आवश्यक सामंजन के पश्चात् उसे अनारक्षित वर्ग के रूप में तथा अगर किसी आरक्षित वर्ग का होगा तो आवश्यक सामंजन के पश्चात् उसे सम्बद्ध आरक्षित वर्ग के रूप में विनियमित किया जाएगा ।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०-12165, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के आलोक में निज-मेधा (own merit) के आधार पर चयनित निःशक्त जनों की गणना, गैर-आरक्षित वर्ग में की जायेगी तथा निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद/सीट के विरूद्ध चयन अलग से किया जाएगा।

(घ) निःशक्त जनों के निम्न तीन प्रवर्गों के लिए रिक्त पद/उपलब्ध सीट का एक-एक प्रतिशत आरक्षित रहेगा ।

(क) अंधापन या कम दृष्टि,

(ख) श्रवण अशक्तता

(ग) चलन अशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी ।

2. (क) उपर्युक्त कंडिका 1 (क) के अधीन किसी स्थापना का कोई पद/शैक्षणिक संस्थानों की कोई पाठ्य चर्चा यदि निःशक्त जनों के किसी खास प्रवर्ग या सभी प्रवर्गों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाय तो वैसे पदों के सम्पूर्ण कोटि के लिए अनुमान्य निःशक्त जन आरक्षण की प्रतिपूर्ति उन पदों में की जाय जिन पदों के लिए सम्बन्धित निःशक्त जन उपयुक्त समझा जाय ।

जिन पदो/पाठ्यचर्चा के लिए निःशक्त जन उपयुक्त नहीं पाये जायँ, उन्हें निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 के दायरे से मुक्त रखने के लिए सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष एक प्रस्ताव लाया जायेगा और समिति की अनुशंसा प्राप्त कर उसे राजपत्र/वेबसाईट पर अधिसूचना के माध्यम से आम लोगों को संसूचित किया जायेगा । उक्त प्रस्ताव के साथ जिन पदों/पाठ्यक्रमों के द्वारा निःशक्त जन आरक्षण की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भी रहेगा, जिसे अनुमोदित होने पर अधिसूचना के माध्यम से आम लोगों को सूचित भी किया जायेगा ।

(ख) समिति का गठन:-

(I) मुख्य सचिव	- अध्यक्ष
(II) सचिव,का०प्र०सु०तथा राजभाषा	- सदस्य
(III) सचिव, कल्याण	- सदस्य
(IV) निःशक्तता आयुक्त	- सदस्य
(V) निदेशक स्वास्थ्य सेवा	- सदस्य
(VI) सम्बन्धित सचिव/विभागाध्यक्ष	- सदस्य सचिव

3. पदों/पाठ्यक्रमों की पहचान:- सभी विभाग/सभी नियुक्ति प्राधिकारी/शैक्षणिक संस्थानों के प्रधान वैसे पदों/पाठ्यक्रमों की घोषणा करेगा जिनमें निःशक्त जनों को आरक्षण अनुमान्य है । उसी प्रकार सभी विभाग/सभी नियुक्ति प्राधिकारी/शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधान उन पदो/पाठ्यक्रमों की सूची घोषित करेंगे, जिनमें निःशक्त जनों के किसी खास वर्ग अथवा सभी वर्गों के लिए आरक्षण देय नहीं है ।

4. आरक्षण का निर्धारण

(क) उपर्युक्त कंडिका 1 (क) एवं 3 के आलोक में निःशक्त जनों के लिए अनुमान्य आरक्षण का परिकलन कुल संवर्ग बल के आधार पर की जायेगी जबकि इसका कार्यान्वयन विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार होगी । अर्थात् यदि कुल संवर्ग बल 200 है, तो निःशक्त जनों के तीनों प्रवर्गों के लिए आरक्षण क्रमशः 2, 2 एवं 2 पद होगा, किन्तु विज्ञापित किये जाने वाले पदों की संख्या यदि 33 या 33से कम हों, तो केवल 01 पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित होगा और वह पद निःशक्त जन के उस प्रवर्ग को उपलब्ध होगा, जिसका प्रतिनिधित्व उस संवर्ग में सबसे कम/या नहीं हो ।

(ख) आरक्षण रोस्टर का गठन एवं रोस्टर का संधारण- प्रत्येक स्थापना/नियुक्ति प्राधिकार अपने नियंत्रणाधीन संवर्ग के कुल स्वीकृत बल के आधार पर निःशक्त जनों के अनुमान्य आरक्षण का निर्धारण 1-100 बिन्दुओं के चक्र में करेंगे । 100 बिन्दुओं के प्रत्येक चक्र में तीन ब्लॉक में निम्न रूप में रहेंगे:-

ब्लॉक	**बिन्दु से बिन्दु तक**	**निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग**
1.	1-33	अंधापन/कम दृष्टि
2.	34-67	श्रवण अशक्तता
3.	68-100	चलन अशक्तता/सेरेब्रल पाल्सी

(ग) 100 बिन्दुओं का चक्र पूरा होने के बाद, सौ बिन्दुओं का अगला चक्र आरम्भ होगा। आरक्षण रोस्टर का प्रपत्र संलग्न है ।

(घ) यदि किसी वर्ष रिक्तियाँ इतनी ही हो कि केवल एक या दो ब्लॉक ही आच्छादित होता हो, तो किसी ब्लॉक में निःशक्तता के लिए आरक्षण किस प्रवर्ग उपलब्ध होगा, इसका निर्धारण किसी संवर्ग में अनुमान्य आरक्षण एवं निःशक्त जनों की उपलब्धता के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है ।

(ड.) झारखण्ड राज्य के गठन की तिथि अर्थात 15 नवम्बर, 2000 से प्रत्येक स्थापना में की गई नियुक्ति (समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ) के लिए नियुक्ति वर्ष वार उपर्युक्त उप कंडिका (ख) के अनुसार निःशक्त जनों के लिए आरक्षण का परिकलन किया जायेगा । जिन नियुक्तियों में निःशक्त जनों का प्रतिनिधित्व हो पाया है उसके बाद बचे हुए आरक्षण की प्रतिपूर्ति आगामी भर्ती वर्षों में किया जाएगा । प्रतिपूर्ति के लिए अधिनियम की धारा-41 के तहत आरक्षित पदों की रिक्ति 5 प्रतिशत तक रखी जा सकती है ।

5. सीधी नियुक्ति में निःशक्त जन आरक्षण की अदला-बदली एवं आरक्षण का अग्रणयन:-

(क) निःशक्त जनों के विभिन्न तीन प्रवर्गों का आरक्षण अलग-अलग किया जायेगा ।

(ख) यदि निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद सुसंगत कोटि के निःशक्त जनों के योग्य व्यक्ति के अभाव में या अन्य कारणों से भरी नहीं जा सके तो वैसा उपर्युक्त आरक्षण अगली भर्ती के लिए अग्रणीत किये जाएंगे ।

(ग) यदि अगले भर्ती वर्ष में भी संगत निःशक्तता से ग्रसित योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो अगले भर्ती वर्ष में संबंधित निःशक्तता आरक्षण अन्य प्रवर्गों के बीच विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर परस्पर अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है ।

(घ) केवल तभी जब तीसरे भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त कोटि के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो वैसा आरक्षण व्यपगत् (Lapse) माना जायेगा ।

6. निःशक्ता (निःशक्त जन) की परिभाषा:-

(।) **अंधापन:-** ''अंधापन'' का अभिप्राय जब किसी व्यक्ति की दृष्टि की स्थिति निम्नवत हो-

(क) दृष्टि का पूर्ण अभाव, **अथवा**

(ख) बेहतर आंख में दृष्टि सुधारने वाले लेंसों के साथ दृष्टि विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से न्यून

अथवा

(ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे कम से कम 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो

अथवा

(घ) **कम दृष्टि:-** ''कम दृष्टि वाले व्यक्ति'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत होता है जिसकी दृष्टि क्रिया उपचार अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बावजूद भी दृष्टि की स्थिति सामान्य नहीं हो परन्तु समुचित सहायक यंत्र की सहायता किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में समर्थ हो ।

(।।) **कम सुनाई देने की निःशक्तता:-**जिस व्यक्ति में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृत्ति 60 डेसिबल से कम हो अथवा उससे अधिक का लोप अभिप्रेत है ।

(।।।) (क) **चलने फिरने की निःशक्तता:-** ''चलने फिरने की निःशक्तता'' से हड्डियों, जोड़ो अथवा मांसपेशियों की निःशक्ता अथवा किसी भी तरह का प्रमस्तिष्कीय पक्षघात (फालिज) अभिप्रेत है, जिससे अंगो के हिलने डुलने में अत्यधिक बाधा हो ।

(ख) **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज):-** ''प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)'' से किसी व्यक्ति की गैर विकासोन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है, जो जन्म से पूर्व, जन्म के आसपास अथवा विकास की आंरभिक अवधि में घटित मस्तिष्क आघात अथवा चोटों के परिणाम स्वरूप चलने-फिरने की असामान्य नियंत्रण भंगिता के रूप में परिलक्षित होता है ।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सभी मामले ''चलने फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)'' की श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे ।

7. **आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा:-** केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8. **निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:-** निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा । केन्द्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होगें। इन सदस्यों में कम से कम मूल सदस्य, चलने फिरने की निःशक्तता/कम सुनाई देने की निःशक्तता, जैसे भी मामला हों, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए ।

9. **उपयुक्तता मानदण्ड में छूट:-** निःशक्त जन के लिए आरक्षित पद भरने की निमित्त यदि निःशक्त जन सामान्य मानदण्डों को पूर्ण नहीं करता हो तो पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता में आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हो । इस प्रकार यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को मानदण्डों के आधार पर नहीं भरा जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदण्डों को शिथिल कर के चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति हेतु कोई उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाए ।

10. **आयुसीमा में छूट:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निःशक्त जनों के लिए यथा निर्धारित आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी ।

11. **परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निःशक्त जनों के लिए यथा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट उपलब्ध होगी ।

12. **रिक्तियों का संसूचनः-** निःशक्त जनों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी को निम्नलिखित बातों का विशेष ख्याल रखना होगा:-

(क) रिक्ति के संसूचन में कुल स्वीकृत बल, कुल रिक्तियाँ, अनारक्षित (गैर आरक्षित), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-। एवं पिछड़ा वर्ग-।। की कोटिवार रिक्तियाँ, रिक्त पदों के विरूद्ध अनुमान्य निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण ।

(ख) रिक्त पद के लिए निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गों की उपयुक्तता को स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

(ग) निःशक्तता के लिए न्यूनतम शारीरिक क्षमता का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(घ) यह भी उल्लेख रहना चाहिए की 40 प्रतिशत से कम अशक्तता से ग्रसित निःशक्त जन को आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

13. निःशक्त जन आरक्षण के लिए संवर्ग के लिए नियुक्ति प्राधिकार नोडल पदाधिकारी रहेंगे।

14. निःशक्त जन आरक्षण के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए नोडल पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। कार्यान्वयन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए नियुक्ति प्राधिकार/नोडल पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलायी जा सकती है।

15. इस संकल्प के राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से पूर्व निर्गत निःशक्त जन आरक्षण से सम्बन्धित सभी अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा अवक्रमित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुबन्ध- 1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. ..... तारीख .....

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो

निःशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... आयु .....लिंग .....पहचान चिन्ह .....

निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फोंलिज़)

(I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बांहे (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेश्यिों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I) बी-अंधापन

(II) पी बी - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I) डी - बधिर

(II) पी डी - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती । ..... वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए

निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है:-

(i)	एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है ।	हाँ/नहीं
(ii)	पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं
(iii)	एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं
(iv)	के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं
(v)	बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vi)	एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii)	एस टी -खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं
(viii)	डब्ल्यू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं
(ix)	एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं
(x)	एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं
(xi)	आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ/नहीं

(डॉ .....)	(डॉ .....)	(डॉ .....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्साअधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

❖ जो लागू न हो काट दें ।

निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

अनुबन्ध-।।

भर्ती का वर्ष	**साईकिल सं. और पॉइंट सं.**	**पद का नाम**	**क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया**			**अनारक्षित अथवा आरक्षित**	**नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख**	**क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.व./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं**	**अभ्युक्तियां यदि कोई हो**
			दृ॰ वि॰	व॰	शा॰ वि॰				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* यदि आरक्षित पहचाने गए हो तो लिखें दृ.वि./व./शा.वि. जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित ।

** लिखें दृ.वि./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा मामला हो ।

*** दृ.वि./व./शा.वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 685 –50 ।